



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो०ब०-४८ / २०१९- ५०२ दिनांक : ०१/०७/२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची / वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची / वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची / सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा / जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर / दुमका वन प्रमंडल, दुमका / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "स्थायी पौधांशाला एवं सीड आर्चड योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पौध बीज उद्यान (Seedling Seed Orchard) की स्थापना, बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु रु० 20.444 (बीस लाख चौवालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०ब०-०७ / २०१९-३७ / स्वी० व०प० दिनांक 06.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो०ब०जट-०६ / २०२१-१९ / आ० व०प० दिनांक 14.06.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-39 स्थायी पौधांशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 20.444 (बीस लाख चौवालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179639010103	17.507
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179639010323	2.937
कुल :-		20.444

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख) पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार / उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख) तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S24060179639010103 एवं 19S24060179639010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

8. साथ ही अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से सीड़ आर्चड में रोपित किए जाने वाले पौधों की प्रजाति एवं उसके बीज श्रोत का अनुमोदन भी प्राप्त करके राशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त चिन्हित किए गए बीज उत्पादन क्षेत्र के संबंध में स्थल, उसमें उपलब्ध वृक्षों की संख्या, उसकी स्थिति एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं के आधार पर उसे बीज उत्पादन क्षेत्र बनाने योग्य मापदण्डों पर समीक्षा कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिमेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

**12.** नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रीत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

**13.** योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

**14.** इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

**15(I).** ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिह्नित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य व्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

- (X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।
- (XI) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।
16. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।
17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक—3542, दिनांक—19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—48 / 2019— 502 दिनांक— 01/07/2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / जमशेदपुर / दुमका / मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / गुमला / जमशेदपुर / दुमका / इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—48 / 2019— 502 दिनांक— 01/07/2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / सिमडेगा / जमशेदपुर / दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

~

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं  
 सीड़ आर्चड योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) अन्तर्गत पौध बीज उद्यान  
**Seedling Seed Orchard** की स्थापना का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)  
 हेतु प्रमंडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रो सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			16344.83	885.00	17229.83
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची	12	1.961	0.106	2.067
2	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	12	1.961	0.106	2.067
3	जमशोदपुर वन प्रमंडल, जमशोदपुर	10	1.634	0.088	1.722
4	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	10	1.634	0.088	1.722
कुल योग :-		44	7.190	0.388	7.578

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

**वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड़  
आर्चड योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) अन्तर्गत बीज उत्पादन क्षेत्र  
(Seed Production Area) की स्थापना का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)  
हेतु प्रमंडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

क्र० सं०	निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठ० में)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			8094.58	2000.00	10094.58
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची	20	1.619	0.400	2.019 ✓
2	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	30	2.428	0.600	3.028 ✓
3	राँची वन प्रमंडल, राँची	20	1.619	0.400	2.019 ✓
4	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	7.46	0.604	0.149	0.753 ✓
5	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	20	1.619	0.400	2.019 ✓
6	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	20	1.619	0.400	2.019 ✓
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	10	0.809	0.200	1.009
<b>कुल योग :-</b>		<b>127.46</b>	<b>10.317</b>	<b>2.549</b>	<b>12.866</b>

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

योजना का नाम : पौध बीज उद्यान Seedling Seed Orchard की स्थापना  
 (न्युनतम 10 हेक्टेक्रफल हेतु) कार्य दर

रकवा : 1 हेक्टर


मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 311.33

पौधों की संख्या -- 1000 प्रति हेक्टर

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में संधारण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 311.33						
1	वनों की सुरक्षा (धौंरान मरम्मति सहित)	दिन	36.5	11363.55	0.00	11363.55	
2	एक कोडनी निकौनी एवं मृत पौधों को बदलना।	हेक्टर	16	4981.28	100.00	5081.28	
3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हेक्टर	0	0.00	785.00	785.00	
	योग—		52.5	16344.83	885.00	17229.83	



अपर प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास,  
 झारखण्ड, राँची।



अनुलग्नक -2(ख)

### बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना हेतु कार्य दर

रकवा : 1 हे०

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० मे०) : 311.33

पौधों की संख्या – अधितम 150 वृक्ष प्रति हे०

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
क	वित्तीय वर्ष 2021–22 में तृतीय वर्ष मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33						
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ़य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे०) की कोडनी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6" इच गहराई तक।	हे०	12.00	3735.96	0.00	3735.96	
2	गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे०	10.00	3113.30	1000.00	4113.30	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना / उर्वरक, डी०ए०पी० डालना आवश्यकतानुसार।	हे०	3	933.99	1000.00	1933.99	
4	घोरान मरम्मति	प्रति इकाई	1	311.33	0.00	311.33	
	योग –		26	8094.58	2000.00	10094.58	

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक, विकास  
झारखण्ड, रौची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-48/2019/502

दिनांक -

01-Jul-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते	29065	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD 03 - मजदूरी	358,000.00 रुपये तीन लाख अठावन हजार
2	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते	29067	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 03 - मजदूरी	438,900.00 रुपये चार लाख अड़तीस हजार नौ सौ
3	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते	29068	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	161,900.00 रुपये एक लाख इक्सट हजार नौ सौ
योग: क्रमिक योग:		रुपये नौ लाख अठावन हजार आठ सौ	 (NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND	958,800.00
Page 1 of 5		RANCH	Run Date: 1/7/2021	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते	29069	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	60,400.00 रुपये साहट हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते	29070	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	325,300.00 रुपये तीन लाख पच्चीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते	29071	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	325,300.00 रुपये तीन लाख पच्चीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योगः	रुपये सोलह लाख उनहन्नर हजार आठ सौ			711,000.00
क्रमिक योगः				1,669,800.00

योगः

क्रमिक योगः

रूपये सोलह लाख उन्हें हजार आदि सौ

711 000 00

1,669,800.00

~~(NAND KISHORE SINGH)~~

RANCH

Page 2 of 5

Run Date: 1/7/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179639010103	29073	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	80,900.00 रुपये अस्सी हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते			
			03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060179639010323	29074	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	50,600.00 रुपये पचास हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय			
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060179639010323	29075	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH	70,600.00 रुपये सत्तर हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय			
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योगः	रुपये अठारह लाख इकलत्तर हजार नौ सौ			202,100.00
क्रमिक योगः				1,871,900.00

(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL PCCE DEV JHARKHAND  
RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179639010323	29076	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	40,000.00 रुपये चार्लीस हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं मामगी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060179639010323	29077	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	14,900.00 रुपये चौदह हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं मामगी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060179639010323	29078	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	48,800.00 रुपये अडलार्लीस हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं मीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं मामगी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये उन्नीस लाख पचहत्तर हजार छ: सौ			103,700.00
क्रमिक योग:				1,975,600.00

(NAND KISHORE SINGH  
ADDL PCCP/DEV JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 39 - स्थायी पौधशाना एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाना एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय	29080	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं मामगी	48,800.00 रुपये अडलालीस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 39 - स्थायी पौधशाना एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाना एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय	29081	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं मामगी	20,000.00 रुपये बीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:				68,800.00
क्रमिक योग:	रुपये बीस लाख चवालीस हजार चार सौ			2,044,400.00

(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL PCCE DEO JHARKHAND

RANCH